

अपीलाधी का सुनो गुण। पटवारी दलका नौगांव
 को अपील की प्रति भेज कर इस पर वस्तुस्थिति
 की रिपोर्ट ली जावे। पत्रावली दि० २७-३१८ को
 पेश हो।

२७-३१८ वकील अपीलार्थी उप०। पटवारी नौगांव को
 लिखा जाकर रिपोर्ट चाही जावे। पत्रावली
 दि० १०-५५८ को पेश हो।

१०-५५८

पत्रावली पेश हुई/वकील बादी/प्रतिवादी/
 अपीलार्थी/रिस्पोंडेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष
 उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं/श्रीमान् बीरसीन
 लाल/अन्य नाम पर/अन्य नाम पर है/अन्य कायम व्यवस्था
 में व्यस्त है/अन्य कारण से मना है।
 पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक १५-५५८
 को पेश हो।

(सिद्ध)

२५-५५८ वकील अपीलार्थी उप०। पटवारी दलका नौगांव
 को रिपोर्ट चाही जावे। पत्रावली दि० १-५५८ को
 कैम्प नौगांव पर उपस्थित प्रस्तुत हो।

१-५५८ पत्रावली राजस्व कैम्प नौगांव पर पेश हुई। अपीलार्थी
 दानश्याम उपस्थित है। रिस्पोंडेन्ट तहसील्दार गंगानपुर
 व सरपंच ग्राम पंचायत नौगांव उपस्थित है।
 पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया
 कि मैं लोक अदालत की भावना से अपनी
 उक्त अपील वापस ले रहा हूँ। अपील मेरे नाम की
 दुरुस्ती काकत थी जिसे आज कैम्प में ही १३६ LRA
 के मुकदमे में दुरुस्त कर दिया गया है। इसलिए उक्त
 अपील का निर्णय विद्वाल के आधार पर कर दिया जावे।
 प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर
 प्रस्तुत अपील विद्वाल में रजिस्ट्रिज की जाती है।
 पत्रावली केसल शूमार लेकर नम्बर से कम हो के बाद
 तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

(सतीश कुमार शर्मा)
 अध्यक्ष

(रवि कुमार शर्मा)
 अध्यक्ष

(बि।सू.लाल जाट)
 अध्यक्ष

लोक अदालत
 गंगानपुर सिटी

लोक अदालत
 गंगानपुर सिटी

लोक अदालत
 गंगानपुर सिटी

कैम्प को
 नम्बर न
 उनवान

महोद

अपील
 अदाल
 है।

स्थान

दिनां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)
केम्प कोर्ट का स्थान :- गंगापूर

राजीनामा प्रपत्र

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 1-5-18

पीठासीन अधिकारी महोदय,

राजीनामा प्रपत्र
राजीनामा

बनाम

श्री गणेश चन्द्र शर्मा

अन्तर्गत धारा

75 L.R. Act

आपके न्यायालय में प्रदत्त/बारी श्री

राजीनामा

के विषय में आपका न्यायालय का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

हम आपकी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

हमने लोक अदालत की मजूर से अपनी अपील को वापस ले लिया है और लोक अदालत में गणेश चन्द्र शर्मा के विषय में अन्तर्गत धारा 75 L.R. Act के अन्तर्गत प्रकरण का निस्तारण कर दिया है। हमने लोक अदालत की मजूर से अपनी अपील वापस ले ली है। हमारे राजीनामा तस्दीक कर मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें।

राजीनामा
.....
.....
.....

- प्रतिवादी पक्ष 1. गणेश चन्द्र शर्मा
2. नरसीलदार (पुंअं)
गंगापूर सिटी
3.
4.

राजीनामा
गणेश चन्द्र शर्मा

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर गणेश चन्द्र शर्मा
(प्रतिवादी पक्ष) नाम गणेश चन्द्र शर्मा
गंगापूर सिटी (पुंअं)

राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामे की इबारत को सुन व समझ कर सही होना सुनिश्चित है। राजीनामा हस्तस्वाहिस पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

राजीनामा
गणेश चन्द्र शर्मा
गंगापूर सिटी

राजीनामा
गणेश चन्द्र शर्मा
गंगापूर सिटी

राजीनामा
गणेश चन्द्र शर्मा
गंगापूर सिटी